उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या— —कार्य / चौदह—पाकालि / 2011—46—के / 2009 दिनांक /04/2011

. मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

2. मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

. मुख्य अभियन्ता (रेस्पो)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

. मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

. मुख्य अभियन्ता (सी.एम.यू.(डी))
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

8. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण—द्वितीय
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

. मुख्य अभियन्ता (पी0पी0ए0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

10. मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा—लेखा)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

1. मुख्य अभियन्ता (जाँच समि0—II)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12. मुख्य अभियन्ता (यूनीफाइड स्कीम)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3. संयुक्त सचिव (स0प्र0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

14. उप महाप्रबन्धक (लेखा—प्रशासन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

5. मुख्य अभियंता(पी0एम0यू0),
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

16. मुख्य अभियंता(कम्प्यूटराईजेशन)
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषयः— उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से संविदा पर तैनात कार्मिकों सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव(स0प्र0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या—1384—स0प्र0—11 / पाकालि / 2011 —07स0प्र0 / 11, दिनांक 21.04.2011 की छाया प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि मामले में नियमानुसार यथावांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(भारत भूषण गोयल)
उप सचिव (कार्य)

संख्या— (1)कार्य—14 / पाकालि / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव(स0प्र0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्र संख्या—1384—स0प्र0—11 / पाकालि / 2011 —07स0प्र0 / 11, दिनांक 21.04.2011 के सन्दर्भ में सुचनार्थ प्रेषित।

(भारत भूषण गोयल)
उप सचिव (कार्य)

(Ayeb)
स्थत करें

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 1384–स0प्र0–11/पाकालि/2011–07स0प्र0/11 दिनांक : 21 अप्रैल, 2011

समस्त संयुक्त सचिव,
समस्त उप सचिव/अनु सचिव
समस्त निजी सचिव/अनुभाग अधिकारी,
विधि अधिकारी/उप विधि अधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी,
कार्मिक अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी/सहायक अभियन्ता (मु0)
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन,
लखनऊ।

विषय :– उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण के माध्यम से संविदा पर तैनात वर्कर के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के का0ज्ञा0सं0–1308–स0प्र0–11/11–07स0प्र0 /2011, दिनॉक 04.04.2011 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से संविदा कर्मियों की तैनाती की गई है।

उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम से समय–समय पर एक निश्चित अवधि हेतु अनुबन्धित शर्तों के अंतर्गत संविदा कर्मियों की आउट सोर्सिंग की जा रही है। इनके सम्बन्ध में आपका ध्यान निम्नांकित बिन्दुओं पर आकृष्ट किया जाना है :–

1. आउट सोर्सिंग द्वारा लिये जा रहे वर्कर उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा अनुबन्ध अवधि में उपलब्ध करायें गये कार्मिक है। स्वाभाविक रूप से अधिष्ठान के संदर्भ में पावर कारपोरेशन से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।
2. इनकी उपस्धिति/अनुपस्थिति का रिकार्ड पावर कारपोरेशन के नियमित कार्मिकों से अलग रखा जाये।
3. एक वर्ष की अवधि हेतु किये गये अनुबन्ध पर इन संविदा कर्मियों को निम्नांकित अवकाश अनुमन्य है :–

   (1) प्रिविलेज अवकाश – 15 दिन
   (2) आकस्मिक अवकाश – 12 दिन
   (3) राष्ट्रीय एवम् अन्य सार्वजनिक/रविवारीय अवकाश।
4. उक्त अवकाशों की गणना संविदा कर्मियों की वास्तविक कार्यावधि के अनुसार अनुपातिक आधार पर की जायेगी।
5. अनुमन्यता से अधिक अवकाश आवेदन पत्र अपने स्तर से अस्वीकृत कर दें तथा प्रिविलेज अवकाश, की स्वीकृति हेतु भी सचिवालय प्रशासन अनुभाग–11 को अग्रसारित करने के स्थान पर उनके अपने अधीनस्थ कार्यावधि के अनुसार आकस्मिक अवकाश की तरह (अर्थात कमशः 1¼ दिन एवं एक दिन प्रति माह) अनुपातिक आधार पर अनुमन्य अवकाश अपने स्तर से स्वीकृत कर स0प्र0–11 अनुभाग को सूचित करें एवम् तदानुसार मासिक विवरणिका में इंगित कर दें ताकि संविदा अवधि के भुगतान हेतु बीजक सत्यापित किया जा सके।
6. आकस्मिक अवकाश के साथ प्रिविलेज अवकाश तारतम्यता में (prefix एवम् suffix) नहीं किये जायेगें।
7. कार्यालय में अनुशासन एवम् सौम्यता इनके आचरण, कार्य, व्यवहार एवम् परिधान से परिलक्षित होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में कारण सहित दूसरा वर्कर तैनात किये जाने की तत्काल संस्तुति की जाये। अपने अधीनस्थ कार्यरत संविदा कर्मी को तद्नुसार अनुपालन हेतु सूचित कर दें।
8. प्रत्येक अनुबन्ध की अवधि के समाप्त होने पर इन संविदा कर्मियों की सेवायें स्वतः ही समाप्त होगी। अग्रतर अगले आदेशों तक इनकी सेवायें नहीं ली जानी है। इस हेतु पृथक से अनुस्मरण जारी नहीं किया जायेगा।

कमशः.......................2

9. कार्यहित में मात्र संविदा कर्मी की मॉग की जानी है। संविदा कर्मी के नाम से की गई मॉग न तो स्वीकार योग्य है और न ही उचित। अतः इस प्रकार की मॉग स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी संविदा कर्मी को कारपोरेशन (मु0) में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

10. संविदा कर्मियों की मॉग सचिवालय प्रशासन अनुभाग–11 के पत्रांक–1146–स0प्र0–11/पाकालि/11–23स0प्र0/03, दिनॉक 26.03.2011 द्वारा परिचालित किये गये प्रारूप पर ही स्वीकार होगी।

11. कतिपय संविदा कर्मियों द्वारा अपनी वैवाहिक स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है। साथ ही कार्यावधि में किन्हीं कार्मिक की आयु आश्रित हेतु अनुमन्य आयु से अधिक हो जाती है, जिससे उनकी अर्हता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप अभिलेखों में उनके नाम की प्रविष्टि हेतु समस्या उत्पन्न होती है। अनुबन्ध के उपरान्त यदि आपके स्तर पर उनकी वैवाहिक स्थिति संज्ञान में आती है, तो ऐसे वर्कर का कोई भी प्रार्थना–पत्र उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम से पुष्टि करायें जाने तक स्वीकार न किया जाये। इस हेतु सचि0प्रशा0 अनुभाग–11 के स्तर पर कार्यवाही वॉछित नहीं होगी अपितु सम्बन्धित वर्कर द्वारा स्वयं कारपोरेशन को निगम के माध्यम से सूचित कराया जाना है। सम्बन्धित वर्कर द्वारा गलत बयानी/घोषणा अपराधिक कृत्य है एवं तद्नुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही सम्भव है। इस तथ्य से अपने अधीनस्थ संविदा कार्मिक को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

12. आप अवगत है कि संविदा कर्मी उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कार्मिक है। कारपोरेशन स्तर से इन्हें किसी भी प्रकार का प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जाना है। अतएव, यदि कोई अधिकारी इन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रमाण–पत्र निर्गत करता है, तो कालावधि में अथवा भविष्य में उत्पन्न विषम स्थितियों हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा। अतएव, इस सम्बन्ध में नाम से मॉग–पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है।

13. संविदा कर्मियों को कार्य की अधिकता के कारण तैनात किया गया है किन्तु कतिपय संविदा कर्मी एक लम्बी अवधि के लिए अवकाश पर चले जाते है और फिर कार्य पर लौट आते है। उन्हें अनुमन्य अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है और शेष अनुपस्थिति की श्रेणी में दर्शाया जाता है। इस प्रकार वे अपनी स्वेच्छानुसार अवकाश पर रहते है और सम्बन्धित अधिकारी प्रतीक्षा में रहते हुए उसके कार्य पर लौट आने पर स्वीकार कर लेते है। यह न तो कारपोरेशन हित मे है और न ही अनुबन्ध की शर्तों के अंतर्गत। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए ऐसे वर्कर को तत्काल surrender करने की संस्तुति की जाये अन्यथा अनुपस्थिति विलम्ब के आधार पर सचिवालय प्रशासन अनुभाग–11 द्वारा यह समझा जायेगा कि संबंधित अनुभाग/शिविर में संविदा कर्मी की आवश्यकता नहीं है एवम् तद्नुसार स्वीकृति/तैनाती निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में शिथिलता हेतु संबंधित अनुभाग अधिकारी/शिविर प्रमुख का उत्तरदायित्व निर्धारित भी किया जा सकता है।

(अशोक कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव (स0प्र0)

<u>संख्या : 1384(1)स0प्र0–11/पाकालि/2011, तद्दिनॉक।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> :– संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अभ्युक्ति से प्रेषित् कि कृपया अपने स्तर से पावर कारपोरेशन अन्य इकाईयों के अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत करना चाहेंगें।

21/5/2011

(अशोक कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव (स0प्र0)